सिविल निगरानी 62/98

24.02.22

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर पुनरीक्षण कर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिपक्ष की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।

प्रार्थना पत्र 49 क 2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 49 क 2 पुनरीक्षण कर्ता की ओर से अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि विपक्षी संख्या 13 हफीजउद्दीन की मृत्यु दिनांक 18.12.2019 को हो गयी है और उसके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र दिनांक 18.02.2020 को पत्रावली पर दाखिल किया गया।

प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति नहीं है प्रतिपक्षगण को नोटिस प्रेषित किये गये उनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 49 क 2 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं पुनरीक्षण कर्ता को आदेशित किया जाता है कि वो प्रार्थना पत्र 49 क 2 के अनुसार अपने पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में संशोधन अंदर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते सुनवायी प्रार्थना पत्र 51 क व 53 ग दिनांक 22.03.2022 को पेश हो।

कुन्दन किशोर
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 5,
प्रतापगढ़।